न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0
प्रार्थना–पत्र सं0 : 18 सन 2024
अनवान :–

1. प्रवीण पुत्र महेन्द्र जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र रजिराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र सांवलाराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

5. विमला पुत्री सांवला राम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री सांवला राम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
7. सरस्वती पुत्री सांवला राम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
8. बाधो उर्फ सावत्री पुत्री सांवला राम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमारग गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 11/06/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आश्य का पेश किया की श्रीमान न्यायालय में अनवानी मोहनलाल बनाम महेन्द्र वाद स0 251/2022 पेश किया गया था जो की दिनांक 28.04.2022 को डिकी हुआ है।

प्रार्थीया उस निर्णय व डिकी से प्रभावित होकर माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील संख्या 24/2024 अनवानी प्रवीण बनाम मोहनलाल आदि पेश की गई जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2024 को अपील स्वीकार की जाकर श्रीमान अदालत के निर्णय दिनांक 28.04.2022 को निरस्त किया गया। लेकिन श्रीमान अदालत के निर्णय व डिकी दिनांक 28.04.2022 की पालना में रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर का नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 17.05.2022 तस्दीक हो गया था। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 17.05.2022 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर श्रीमान न्यायालय को रिमाण्ड की गई है कि साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुन निर्णय किया जावे। उक्त प्रकरण में पुन सुनवाई होनी है इसलिए प्रार्थी पूर्व स्थिति बहाल करवा पाने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब तक वाद का निस्तारण नही हो जाता तब तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थगित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:21 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की श्रीमान न्यायालय में अनवानी मोहनलाल बनाम महेन्द्र वाद स0 251/2022 पेश किया गया था जो की दिनांक 28.04.2022 को डिकी हुआ है। श्रीमान अदालत के निर्णय व डिकी दिनांक 28.04.2022 की पालना में रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर का नामान्तरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1303 दिनांक 17.05.2022 तस्दीक हो गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2024 को अपील स्वीकार की जाकर श्रीमान अदालत के निर्णय दिनांक 28.04.2022 को निरस्त किया गया। रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 17.05.2022 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने के आदेश फरमावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर श्रीमान न्यायालय को रिमाण्ड की गई है कि साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुन निर्णय किया जावे। उक्त प्रकरण में पुन सुनवाई होनी है इसलिए प्रार्थी पूर्व स्थिति बहाल करवा पाने के अधिकारी नही है। साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत निर्णयों के अवलोकन अनुसार रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 33/36 की कुल 5.5660 हैक भूमि प्रार्थी के पिता मोहनलाल के नाम दर्ज थी जिसके सम्बध में उपखण्ड अधिकारी नोहर ने दिनांक 28.04.2022 को निर्णय पारित किया जाकर डिक्री किया गया।

न्यायालय के आदेशों की पालना में तहसीलदार नोहर ने रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर का नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 17.05.2022 तस्दीक कर दिया।

उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 28.04.2022 की अपील मोहनलाल के वारिस प्रवीण के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने बाद सुनवाई दिनांक 16.07.2024 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 28.04.2022 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया गया।

राजस्व रिकार्ड में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 22.04.2022 की पालना में भूमि दर्ज हुई थी को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 16.07.2024 के द्वारा खारिज कर दिया गया है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 22.04.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में किये गये अंकन को प्राथी निरस्त करवाकर दिनांक 22.04.20244 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करवाना चाहता है जिसका प्रार्थीगण अधिकारी भी है क्योकि जिस आदेश से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था वह आदेश की निरस्त किया जा चुका है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के नामान्तरण संख्या 1303 दिनांक 17.05.2022 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जावे। आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र. उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:49:21 IST
Reason: SelfAttested